राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 14(44)कार्मिक/क–2/2007 पार्ट जयपुर, दिनांक : 30 JUL 2015

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर सहित)

परिपत्र

विषयः–विशेष योग्य जनों (निःशक्तजन)हेतु आरक्षित /आगामी भर्ती वर्ष हेतु अग्रेषित (Carry Forward) पदों को नियमानुसार भरे जाने बाबत ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी), अधिनियम,1995 के तहत, अधिसूचना दिनांक 21.07.2011 द्वारा 'राजस्थान निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011' जारी किये हैं, जो दिनांक 26.07.2011 से प्रभावी हैं। उक्त नियम 2011 के नियम–38(4) के अनुसार विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों के लिए अपेक्षित संख्या में पात्र अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में, रिक्त रहे पदों को आगामी भर्ती वर्ष हेतु अग्रेषित(Carry Forward) किया जावेगा। तत्संबंधी प्रावधान इस प्रकार है :–

"जहां किसी भर्ती वर्ष में धारा–33 के अधीन किसी रिक्ति को किसी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्ही अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है, वहां ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जाएगी और यदि अगले भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो इसे पहले तीनों प्रवर्गों के बीच परस्पर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तभी जब उस वर्ष में पद के लिए कोई निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नही है, नियोजक,निःशक्त व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा । परन्तु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी निश्चित प्रवर्ग के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियां समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन से तीनों प्रवर्गों के बीच परस्पर परिवर्तित की जा सकेंगी।"

इसी परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समिति की आयोजित बैठक में कार्मिक विभाग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त वर्णित प्रावधान की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। न ही अग्रेषित पदों को भरने हेतु अपेक्षित प्रयास किए जा रहे हैं। इससे विशेष योग्य जनों को राजकीय सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो रहा है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों से अनुरोध है कि निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में सरकारी सेवाओं में निःशक्तजनों हेतु किये गये तीन प्रतिशत आरक्षण एवं रिक्त पदों को आगामी भर्ती हेतु अग्रेषित करने संबंधी प्रावधानों की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित करावें, जिससे निःशक्त जनों का राजकीय सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकें। कृपया की गयी कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करावें ।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव–1, मा0 मुख्यमंत्री महोदया ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

40/2015